[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.70/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 सितंबर, 2020

सा.का.नि.....(अ).- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 196(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2020- केन्द्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, -

(i) "किसी वित्तीय वर्ष" शब्दों के स्थान पर "2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की" शब्दों के पश्चात् "या निर्यात के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

[फा.सं. सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 13/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 196(अ) तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि.481(अ), तारीख 30 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.61/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 30 जुलाई, 2020 द्वारा संशोधन किया गया था ।